



न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, खेतडी, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी

—

प्रेम सिंह धनवाल
जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध प्रार्थना पत्र (13 बी एचएमए) संख्या-175/2025

CIS No. Family Main Case/175/2025

श्रीमती राजबाला पत्नी महेन्द्र पुत्री सुल्तान, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं०-10 नानूवाली बावड़ी, तहसील खेतडी, जिला-झुंझुनू, राजस्थान हाल निवास दानजी की ढाणी तन सुल्ताना, तहसील चिड़ावा, जिला-झुंझुनू, राजस्थान

—याची संख्या 01

एवं

महेन्द्र पुत्र जगमाल, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड नं०-10 नानूवाली बावड़ी, तहसील खेतडी, जिला-झुंझुनू, राजस्थान

—याची संख्या 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थिति—

01. श्री सुरेश कुमार सैनी

— न्यायमित्र याची संख्या 01

02. श्री महेन्द्र सिंह निर्वाण

— न्यायमित्र याची संख्या 02

—:: निर्णय ::—

दिनांक 23 मार्च, 2026

(01) प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत व आवश्यक तथ्य इस प्रकार से है कि—याचीगण की ओर से उपरोक्त प्रावधान में संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि याचीगण का विवाह दिनांक 22.05.2023 को याची संख्या 01 के पिता के घर दानजी की ढाणी तन सुल्ताना, तहसील चिड़ावा, जिला-झुंझुनू, राजस्थान में हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। उसी दिन याची संख्या 01 की बड़ी बहन पूजा का विवाह याची संख्या 02 के बड़े भाई छोटेलाल के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के 02-03 माह पश्चात से याचीगण के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गये। वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गये कि याचीगण का पति पत्नि के रूप में साथ रहना असंभव हो गया। पक्षकारान के परिवार वालों की समझाईश का कोई परिणाम नहीं निकला और वैचारिक मतभेद के चलते याचीगण माह जनवरी, 2024 से पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं और समझाईश के समस्त प्रयास असफल हो गये। साथ रहना संभव नहीं है। याची संख्या 01 ने याची संख्या 02 से भरण पोषण की राशि भी एकमुश्त प्राप्त कर ली है। अब उनके मध्य कोई लेन-देन शेष नहीं रहा है। याचीगण के



इस विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई। याचीगण के मध्य कोई दूरभि संधि नहीं है। अतः याचीगण का विवाह विघटित घोषित किया जावे।

(02) याचिका के समर्थन में याचीगण ए0ड0-01 राजबाला व ए0ड0-02 महेन्द्र ने पृथक पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत हुये, जिसमें याचिका के तथ्यों को दोहराते हुये दिनांक 22.05.2023 को याची संख्या 01 के पिता के घर दानजी की ढाणी तन सुल्ताना, तहसील चिड़ावा, जिला-झुंझुनू, राजस्थान में हिन्दू रीति रिवाज से विवाह सम्पन्न होना, विवाह के 02-03 माह पश्चात से याचीगण में परस्पर वैचारिक मतभेद गम्भीर रूप से उत्पन्न हो जाना, समझाईश के सभी प्रयास असफल रहना, पति पत्नि के रूप में साथ रहना असंभव हो जाना, माह जनवरी, 2024 से याचीगण का पृथक पृथक निवास करना, तभी से दाम्पत्य संबंध स्थापित नहीं होना उल्लेखित किया है।

(03) पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(04) न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि—

(05) “क्या याचीगण पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

(06) उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का विवेचन किये जाने के पश्चात न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार से है —

(07) याचीगण का विवाह दिनांक 22.05.2023 को याची संख्या 01 के पिता के घर दानजी की ढाणी तन सुल्ताना, तहसील चिड़ावा, जिला-झुंझुनू, राजस्थान में हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न होना, विवाह के 02-03 माह पश्चात से याचीगण में परस्पर वैचारिक मतभेद गम्भीर रूप से उत्पन्न हो जाना, समझाईश के सभी प्रयास असफल रहना, पति पत्नि के रूप में साथ रहना असंभव हो जाना, माह जनवरी, 2024 से याचीगण का पृथक पृथक निवास करना, तभी से दाम्पत्य संबंध स्थापित नहीं होना बताया गया है। हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2025 को प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात भी याचीगण के मध्य समझाईश के सम्यक् प्रयास किये गये परन्तु प्रयास असफल रहे। याचिका प्रस्तुत हुये 06 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य समझाईश के समस्त प्रयास असफल रहने से एवं याचिका प्रस्तुत हुये 06 माह का समय व्यतीत हो जाने से तथा पक्षकारान के मध्य कोई दूरभि



संधि नहीं होने से याचिका स्वीकार की जाकर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

— आदेश —

(08) परिणामतः याचीगण श्रीमती राजबाला एवं महेन्द्र की ओर से धारा-13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाकर याचीगण श्रीमती राजबाला एवं महेन्द्र के मध्य हुये विवाह दिनांक 22.05.2023 को पारस्परिक सहमति के आधार पर इसी क्षण विघटित घोषित किया जाकर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है।

(09) उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे।

(प्रेम सिंह धनवाल)

अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01

खेतड़ी, राजस्थान

(10) आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रेम सिंह धनवाल)

अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01

खेतड़ी, राजस्थान